

**झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग**

अधिसूचना

रॉची
3431 दिनांक :- 9.7.11

अधि० सं०-1/स्था०-01/2007 ज.स. —————/ दिनांक 13.06.11 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची के निम्नलिखित कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (नियमित/चालू प्रभार) को कार्यकारी व्यवस्था के तहत उनको अपने ही वेतनमान में उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित पद/स्थान पर पदस्थापित करते हुए अधीक्षण अभियंता (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

क्र.	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री युगेश्वर पासवान(अ.जा.) 3154 / 16.06.53 / नालन्दा	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, लोहरदगा	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) के रूप में सेवा पर्यटन विभाग को।	
2	श्री शिवशंकर माहेश्वरी 1704 / 23.05.54 / मुँगेर	कार्यपालक अभियंता कोनार नहर प्रमंडल बगोदर	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) खरकई बाँध अंचल, ईचा चालियामा	
3	श्री विनोद राम माहुरी 1709 / 17.03.53 / धनबाद	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल सरायकेला खरसाँवा	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) सुवर्णरेखा बाँध अंचल, चाडिल (श्री अशोक कुमार के मुख्य अभियंता (चा.प्र.) के रूप में पदस्थापन के क्रम में होने वाली रिक्ति के फलस्वरूप)	
4	श्री रिपुसूदन प्रसाद 1712 / 10.07.52 / प.चम्पारण	कार्यपालक अभियंता बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमंडल सं०-1, रॉची	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) लघु सिंचाई अंचल मेदिनीनगर	
5	श्री विनय कुमार 1714 / 10.04.53 / पटना	कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमंडल सं०-1 चक्रधरपुर	अधीक्षण अभियंता योजना आयोजन अंचल, रॉची	
6	श्री सत्येन्द्र पाराशर 1719 / 21.09.53 / रॉची	तकनीकी सलाहकार रूपांकण अंचल, देवघर	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-01, रॉची	
7	श्री रामनन्दन राजीव 1723 / 03.07.52 / पूर्णियाँ	कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) के रूप में सेवा मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को।	ग्रामीण विकास विभाग से सेवा वापस लेते हुए।
8	श्री शिवानन्द राय 1724 / 04.09.56 / पटना	कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमंडल, गुमला	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल, रॉची	

1	2	3	4	5
9	श्री दिलीप कुमार सिंह 1725 / 17.01.56 / पटना	कार्यपालक अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं०-7, राँची	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) आयोजन, रूपांकण एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची	
10	श्री युगेश्वर प्रसाद सिंह 1731 / 01.07.53 / रोहतास	कार्यपालक अभियंता पुनासी स्पीलवे प्रमंडल पुनासी शिविर-देवघर	सचिव(प्रावै.) मुख्य अभियंता, ईचा गालूडीह कम्पलेक्स सुवर्णरेखा परियोजना आदित्यपुर (जमशेदपुर)	
11	श्री सुनील कुमार सिन्हा 1737 / 15.03.57 / नालन्दा	कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल, गालूडीह	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) सुवर्णरेखा नहर अंचल, जमशेदपुर	
12	श्री दीपक कुमार सिन्हा 1738 / 02.09.54 / पटना	कार्यपालक अभियंता सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राँची	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) के रूप में सेवा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सेवा यथावत्।
13	श्री अमरनाथ सिंह 1743 / 25.12.52 / बेगूसराय	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) ग्रामीण विकास विभाग	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर	ग्रामीण विकास विभाग से सेवा वापस लेते हुए।
14	श्री अभय कुमार पंजियार "नथुनी" 1747 / 02.01.53 / मुजफ्फरपुर	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) जलपथ प्रमंडल, राँची	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-02, राँची	
15	श्री रमण नाथ लाल दास 1758 / 09.01.53 / मधुबनी	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) नहर एवं नहर संरचना रूपांकण प्रमंडल सं०-1 राँची	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) रूपांकण अंचल, देवघर	
16	श्री अखिलेश्वर प्र. श्रीवास्तव 1762 / 20.10.52 / पू. चम्पारण	तकनीकी सलाहकार जलपथ अंचल गुमला	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) सिंचाई अंचल, मधुपुर (श्री गोपाल राम रजक के स्थानान्तरण के क्रम में)	
17	श्री विनय कुमार सिन्हा 1769 / 01.01.57 / पटना	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) नगर विकास विभाग	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) के रूप में सेवा मानव संसाधन विकास विभाग को	नगर विकास . विभाग से सेवा वापस लेते हुए
18	श्री सुबोध कुमार सिन्हा 1777 / 24.01.54 / संधाल परगना	उप सचिव (अभियंत्रण) जल संसाधन विभाग, राँची	सचिव (प्रावै.)(चालू प्रभार) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची (श्री सुरेन्द्र कुमार के मुख्य अभियंता (चा.प्र.) के रूप में पदस्थापन के क्रम में होने वाली रिक्ति के फलस्वरूप)	
19	श्री सुधीर कुमार सिंह 1778 / 27.07.51 / सारण	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) लघु सिंचाई प्रमंडल खूँटी	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) जलपथ अंचल, राँची	
20	श्री सुरेश यादव 1791 / 22.05.53 / गया	कार्यपालक अभियंता(चा.प्र.) ग्रामीण विकास विभाग	अधीक्षण अभियंता (चा.प्र.) के रूप में सेवा ग्रामीण विकास विभाग को	ग्रामीण विकास विभाग को सेवा यथावत्।

2. अधीक्षण अभियंता स्तरीय पद का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा तथा इन्हें वही वेतन देय होगा जो उन्हें पूर्व में देय है।
3. उपरोक्त पदाधिकारी जिन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया है, कालान्तर में इनसे वरीयता क्रम में वरीय पदाधिकारी की निगरानी स्वच्छता एवं चारित्र्य प्रोन्नति के अनुकूल पाये जाने पर उन्हें अधीक्षण अभियंता (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार जो पदाधिकारी कनीय होंगे उन्हें कार्यपालक अभियंता के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।
4. भविष्य में उपरोक्त अभियंताओं की निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।
5. अधीक्षण अभियंता के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न ही पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(चन्द्र भूषण सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

ज्ञापांक—

3431

राँची, दिनांक—

9.7.11

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी.डी. सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(चन्द्र भूषण सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

ज्ञापांक—


3431

राँची, दिनांक—

9.7.11

प्रतिलिपि—महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची / माननीय उप मुख्य मंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लि., राँची / प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर / विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियंता प्रमुख— I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन (लघु सिंचाई सहित) विभाग, झारखण्ड, राँची / संबंधित पदाधिकारी / संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 / ब, 7 / यो. एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के भीतर विरमित नहीं होने पर संबंधित अभियंता स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगे।
3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी उक्त पदाधिकारियों का माह जुलाई 2011 का वेतन भुगतान नये पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।


 (चन्द्र भूषण सिंह)
 सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)
 29/7/11